



7

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

PBR/पुनर्विलोकन/भोपाल/भू-रा/2017/4848 प्रकरण क्रं.

श्रीमती संगीता साहू पत्नि श्री  
इन्द्रजीत साहू आयु वयस्क  
निवासी-म०नं०-36 श्रीनगर कॉलोनी

निशातपुरा बैरसिया रोड

भोपाल म०प्र०

पुनर्विलोकनकर्ता/आवेदिका

विरुद्ध

नवकृष्ण एजुकेशन सोसायटी

द्वारा सुरेन्द्र कुमार मित्तल

मित्तल कालेज भोपाल मेमोरियल

चिकित्सालय के सामने करौंद

भानपुर बायपास रोड,

भोपाल म०प्र०

2. म०प्र० शासन द्वारा

कलेक्टर जिला भोपाल ----- उत्तरदाता/अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म०प्र०

भू-राजस्व संहिता 1959

उक्त पुनर्विलोकन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 4082/पी.बी.आर./2014 पक्षकार नवकृष्ण एजुकेशन सोसायटी विरुद्ध म.प्र. शासन व श्रीमती संगीता साहू में पारित आलोच्य अन्तिम आदेश दिनांक 12/09/2017 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समयावधि में विधिक ठोस आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है :-

*(Signature)*

शुनील रि. प्र. प. 17  
आज दि. 9-11-17 के

कलेक्टर जिला भोपाल  
नवकृष्ण एजुकेशन सोसायटी  
द्वारा सुरेन्द्र कुमार मित्तल

6-12-17

9-11-17



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/रिव्यु/भोपाल/भू.रा./2017/4348

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

12-12-17

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 4082-पीबीआर/2014 में पारित आदेश दिनांक 12-9-2017 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-

1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी।

2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आवेदक सूचित हो।



  
अध्यक्ष